रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-25022026-270476
CG-WB-E-25022026-270476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 963] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 963] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1007(अ).— अधिसूचना संख्या एस. ओ. 310(ई) दिनांक 19 जनवरी 2026 भारत के राजपत्र , भाग II, खंड 3(ii)में प्रकाशित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6(1) (iii) और खंड 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 5 एवं 6(2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के उपरांत मैं, अमृत राज , पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि आप किसी भी समय अपने स्वयं के खाते में और/ या तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट की मात्रा नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेंगे :-

	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट/जूट मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	ऐसे स्टॉकिस्ट जो कच्चे जूट के बेलर हैं और जिनके एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है तथा जो पटसन आयुक्त कार्यालय से पंजीकृत हैं|	600 क्विंटल
2	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट की अन्य सभी श्रेणियाँ	5 क्विंटल
3	कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल /निर्माण इकाईयाँ	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मै आगे निदेश देती हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (ख) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरुप कॉलम (ग) में उल्लिखित मात्रा से अधिक है तो इस आदेश कीतारीखसे10 (दस) दिनों के भीतर कच्चे जूटकीअतिरिक्त मात्रा को बेच दें और 21 मार्च 2026 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रुप से करें तथा उसके तुरंत बाद सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा हमें भेजें । अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे न आ जाए।

3. मैं आगे निदेश देती हूँ कि आप अपने धारित स्टॉक को जूट स्मार्ट पोर्टल पर **पाक्षिक रिपोर्ट के द्वारा** घोषित /अद्यतित करें जो http://jutecomm.gov.in/Jute_Smart.htmlमाध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

4. **एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों /बेलरों के नाम भिन्न भिन्न क्यों न हो, इस आदेश की व्याख्या के प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा|** अर्थात् यदि दो या दो से अधिक व्यापारी/स्टॉकिस्ट /बेलर एक ही गोदाम/बेलिंग प्रेस को साझा कर रहे हों और पटसन आयुक्त कार्यालय से अलग-अलग पंजीकृत हों तो उस परिसर में ऐसे पंजीकृत सभी इकाईयों द्वारा धारित कुल मात्रा उउपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर ही होनी चाहिए |

5. यदि आपने कच्चा जूट स्टॉक की बिक्री के लिए संविदा निष्पादित की है तो जबतक यह खरीदार को भौतिक रूप से सुपुर्द नहीं कर दिया जाता तबतक विक्रेता द्वारा धारित स्टॉक विक्रेता का धारित स्टॉक समझा जाएगा |

6. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के अंतर्गत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

7. मैं आगे यह भी निर्देश देती हूँ कि कच्चे जूट से जूट वस्तुएँ बनाने वाले जूट मिल / उत्पादन इकाईयों पर स्टॉक-सीमा के मामले में इस आदेश से छूट देने के लिए ऐसे संगत दस्तावेजों जिनसे निर्यात प्रतिबद्धता या प्राइवेट बाजार में बिक्री का पता लगता हो, के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले-दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा | आयातित कच्चा जूट को इस आदेश में बताई गई स्टॉक-सीमा की गणना से छूट रहेगी |

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के आरक्षित अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।

9. मैं आगे यह भी निर्देश देती हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम पर लागू नहीं होगा। हांलाकि जूट मिलों द्वारा रखे गए उस स्टॉक जो भारतीय पटसन निगम द्वारा बेचा गया है, पर यह स्टॉक-सीमा लागू होगी |

10. इसके अलावा, पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण मे, मैं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों तथा राज्य पुलिस अधिकारियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और

फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देती हूँ।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(33)/2019-I(ई)]

अमृत राज, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 24th February, 2026

S.O. 1007(E).— In partial modification of the order published in The Gazette of India, Part II, Section 3(ii) vide notification no. S.O.310(E) dated 19th January 2026 and after giving consideration to factors enumerated in Clause 5 and 6(2) and in exercise of the powers conferred on me by Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Amrit Raj, Jute Commissioner, hereby direct that at no point in time you will hold more than the quantity of raw juteon your own account and / or on account of third parties mentioned in the table below:

	Category of raw jute stockists/jute mills	Maximum quantity of raw jute to be held
(a)	(b)	(c)
1	Stockists who are raw jute balers, having raw jute Baling Press in the same premises and registered with o/o Jute Commissioner	600 Quintals
2	All other categories of Stockists/Balers of raw jute	5 Quintals
3	Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute	45 days' consumption as per current production rate.

2. I further direct you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b)being held by you within 10(ten) days from the date of this Order and **physically deliver the same to the consignee within 21st March 2026** and send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above-mentioned limit.

3. I further direct you to declare/update the stocks held by you through **fortnightly report** on the Jute SMART portal accessible through http://jutecomm.gov.in/Jute_Smart.html.

4. Raw jute stocked in a **single premise irrespective of being in names of different traders/stockists/balers etc. will be considered total single stock for the purpose of interpretation of this Order**. That is, if two or more traders/stockists/balers are sharing a godown/baling press and have different registrations with o/o Jute Commissioner; the total quantity held by all such registered entities on that premise must be within the limits as prescribed above.

5. If you have contracted the sale of raw jute stock, the stock held by seller shall be considered to be held by the **seller** until the same is **physically delivered** to the buyer.

6. If you fail to comply with the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.

7. I further state that for the stock limit on Jute Mills/Manufacturing units of jute goods from raw jute, exemption from this order will be considered on a case-to-case basis after receipt of representation supported by relevant documents showing export commitments or sale in private markets. The imported raw jute shall remain exempt from the calculation of the stock limits provided in the order.

8. This Order shall come into force with immediate effect and remain valid till further orders subject to reservation of right to modify the same at any point of time.

9. I further state that this Order shall not apply to Jute Corporation of India Ltd. However, the stock held by the jute mills sold by Jute Corporation of India Ltd. shall be covered by the stock limits.

10. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives and State Police officials to enter and search their premises including the godowns and also to inspect their books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order & also to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored in contravention to this order& to take any other legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 and Essential Commodities Act, 1955.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(33)/2019-I(E)]

AMRIT RAJ, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA